>

Title: Need to constitute a National Commission for the Most Backward Class and make laws to protect their interests.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं बोलना चाहता हूं। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने एक ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मुझे बोलने का मौका दिया। आजादी के 65 वर्षों के बाद भी इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं, जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक रुप से पिछड़े हैं। जो पिछड़े वर्गों में तो आते हैं, लेकिन उन्हें आज तक कोई लाभ नहीं मिला है। इसके बारे में मंडल आयोग ने भी लिखा, छेदी लाल शास्त्री की रिपोर्ट भी आई और माननीय कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में ऐसे वर्गों का सर्वे कराकर उन्हें अलग से पंचायतों में आरक्षण देने के लिए प्रस्ताव किया था और नौकरियों में भी आरक्षण करने का काम किया था। उसे बिहार सरकार ने पिछले समय लागू करने का काम किया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि ऐसे वर्ग जो आज न तो अनुसूचित जाति में आते हैं और न अनुसूचित जनजाति में आते हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग में आते हैं। लेकिन आज उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है।

मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि यूपीए-2 की सरकार का एक ही नारा है 'कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ'। ये अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं, जो भालू नचाते हैं, बंदर नचाते हैं, कहीं बाल काटते हैं, कहीं माला बनाते हैं, कहीं मछली मारते हैं और कहीं भैंस-बकरी चराते हैं। हमारे पूरे देश में ऐसी सैकड़ों जातियां हैं, जो कहीं खुरपी पीटने का काम करते हैं, जिनके पास राशन कार्ड तक नहीं है। मैं चाहता हूं कि यूपीए सरकार ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशील हो और एक अति पिछड़ा आयोग बनाकर पूरे देश में सर्वे कराने का काम करे और उन्हें नौकरियों में, पंचायतों में बिहार की तर्ज पर कर्पूरी ठाकुर फार्मूले के आधार पर आरक्षण दिलाने का काम किया जाए। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।